न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 356/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/527

दायर दिनांक :– 26.12.2024 निर्णय दिनांक :– 07.01.2026

1. हजारीराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. गोपालराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. जुगताराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. मोहनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. रामकिशन पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुगनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. सेमी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. हुक्माराम पुत्र जोरारम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. ग्राम पंचायत नेवा पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. अनोपाराम कस्ट्रक्सन कम्पनी जरिये प्रोपराईटर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में आया हुआ है, खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर जो प्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 के खातेदारी में आया हुआ है, जिसके प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। खसरा नम्बर 121/1 व 121/4 में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी व पानी का टांका इत्यादि बने हुए है खेत के चारों और तारबंदी की हुई है प्रार्थीगण का व्यवसाय कृषि है तथा आजीविका करने का एकमात्र साधन भी कृषि भूमि है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है उक्त सेटलमेंट से प्रार्थीगण के पूर्वज दादा–पिताजी काबिज काश्तकार है। वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे है तथा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण शांति पूर्ण उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। खसरा नम्बर 121/4 व खसरा नम्बर 121/1 प्रार्थीगण के खेत के किनारे माठ के सहारे–सहारे कटाणी रास्ता पूर्व में चल रहा था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक का निर्माण कर दिया गया है निर्माण कई वर्ष पूर्व किया हुआ है। उक्त ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर 121/4 व 121/1 खेत की माठ के सहारे सहारे जाती है जो आज भी निरविवादित रूप से चल रही है। ग्रेवल सड़क पर मुरड़ व गिटी का काम प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा टेण्डर निकाल कर प्रतिवादी संख्या 3 ठेकेदार को दिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य पेटी कान्ट्रेक्ट के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम पंचायत नेवा कानासर को दिया। ग्राम पंचायत नेवा द्वारा राजनितिक द्वेष भावना से ग्रसित होकर अपनी वोट बैंक को फायदा पहुंचाने के उदेश्य से व प्रार्थीगण को हेरान व परेशान करने के उदेश्य से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 121/2 की खेत की माठ जो उक्त सेटलमेंट से बनी हुई थी। जिस पर तारबन्दी की हुई है जो करीब 70 से 80 वर्षो से काश्त है जिसको जानबूझकर तोडने को आमादा है तथा उस माठ को तोडकर तारबंदी को हटाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से नया ग्रेवल रोड़ निकाल रहे है तथा पूर्व में जो ग्रेवल सड़क बनी है उसे छोड़कर उसके समान्तर प्रार्थीगण को कृषि भूमि से नई ग्रेवल सड़क निकालना चाह रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। नाजायज व गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण की भूमि में दखल अंदाजी कर रहे है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से प्रार्थीगण को जार जबरदस्ती बेदखल करने एवं वादग्रस्त भूमि से बलपूर्वक कब्जा हटाने को उतारू है जिनका उन्हे कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 की और से राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ने जवाब मे बताया कि वर्तमान में डामर सडक का कार्य प्रार्थीगण की भूमि चिपते कटाण मार्ग की पैमाईश करवाकर पैमाईश अनुसार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आमजन की सुविधा को दखते हुए उक्त कटाणी रास्ता पर ग्राम नेवा से सादूलनगर तक 6 किमी डामर सडक स्वीकृत की है। उक्त कटाणी रास्ता की पैमाईश टीम गठित करवाकर की गई है और पैमाईश अनुसार ही कार्य किया गया है। लेकिन प्रार्थीगण गांव की आपसी राजनिति की वजह से उक्त विकास कार्य को होने नहीं दे रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त कटाणी रास्ता पर अतिक्रमण कर रखा है। कटाण मार्ग को छोड़कर सडक का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त डामर सडक के निर्माण से प्रार्थीगण के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुचा रहे है न ही अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कोई फसल खसराब कर रहे है। कटाण मार्ग को छोडकर सडक का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त डामर सडक के निर्माण से प्रार्थीगण के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है और न ही प्रार्थीगण सरकारी कटाण रास्ते पर कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी ही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम नेवा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा सडक निर्माण कार्य किया जा रहा है जो प्रार्थीगण के चिपता खसरा की भूमि में नहीं किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में किये जाने का कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी की दर्ज है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064, खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु पाबंद रहेगे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)